संख्या-6/2022/1165/52-2-2022-2(1)बजट/2020

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2022

विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में 03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 04 माहों (अप्रैल से जुलाई,2022) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-664/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2022-23 दिनांक 18.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु अनुदान संख्या-048 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 04 माहों (अप्रैल से जुलाई,2022) निर्गत किये जाने अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के संचालन हेतु अनुदान संख्या-048 के लेखा शीर्षक-2070-800-03 के मानक मद के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 278.76 (रूपये दो करोड़ अट्हत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष 04 माहों (अप्रैल से जुलाई,2022) हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 92.92 लाख (रूपये बान्नबे लाख बान्नबे हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2022-23 का बजट प्राविधान	वर्ष 2022-23 के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 04 माहों (अप्रैल से जुलाई,2022) हेतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	01-वेतन	104.86	34.95
2	02-मजदूरी	2.00	0.66
3	03-मंहगाई भत्ता	38.80	12.93
4	04-यात्रा-व्यय	2.00	0.66
5	05-स्थानान्तरण यात्रा-व्यय	6.00	2.00
6	06-अन्य भत्ते	5.00	1.67
7	07-मानदेय	10.00	3.33
8	08-कार्यालय-व्यय	8.00	2.67
9	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.50	1.17
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	1.67
11	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	1.00
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12.00	4.00
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान	0.10	0.03
14	18-प्रकाशन	2.00	0.67
15	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2.00	0.67
16	26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	2.00	0.67
17	42-अन्य व्यय	5.00	1.67
18	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	0.67
19	45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	0.67
20	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	3.33
21	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.00	1.33
22	49-चिकित्सा व्यय	6.00	2.00
23	51-वर्दी व्यय	0.50	0.17
24	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	13.00	4.33
25	55-मकान किराया भत्ता	5.00	1.67
26	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00	8.33
	योग	**278.76**	**92.92**

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का अहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार में आहरण आवश्कतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक न होगी।
2. कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
3. वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।
5. उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-048 के **"लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के अधिष्ठान मद"** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2020-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-1165(1)/52-2-2022- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- वित्त(ई-4) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in